



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 850-पें0एवंआर0-28/पाकालि/17-108-पी/1990,

दिनांक : 29 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एवं उसकी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई 2016 एवं 01 जनवरी, 2017 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति।

- उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या : 24/2017/सा-3-475/दस-2017-301/2000 टी0सी0, दिनांक 04.08.2017 द्वारा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को महंगाई राहत दिनांक 01 जुलाई 2016 से 132% एवं दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 136% स्वीकृत की गई है।
- उ0प्र0शासन के उक्त आदेश के अनुरूपता में उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई 2016 से 132% एवं 01 जनवरी, 2017 से 136% की दर से महंगाई राहत अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
 - दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।
 - पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू0सी0/राविप-औ0सं0-19-14(23) एफ-85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उपमहाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
 - महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

संख्या : 850 -पें0एवंआर0-28/पाकालि/17/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
- समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों।

8. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12-आफ स्टेशन रोड़, लखनऊ।
15. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ०प्र०), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
16. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू०पी०, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
17. प्रबन्धक (सी०पी०पी०सी०), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. कट फाईल।

आज्ञा से,



(सै०मो०जाकिर अली काजमी)
संयुक्त सचिव(अरा०)